

शासनादेश संख्या-1347/XXVIII(1)/2013-16(Para)/2007 T.C. दिनांक 01

जुलाई, 2013 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में संचालित राजकीय एवं निजी नर्सिंग संस्थानों में पाठ्यक्रम आरम्भ करने एवं सीट वृद्धि हेतु आवेदन किये जाने हेतु समय-सारणी :-

| क्र० सं० | विवरण | प्रथम चक्र | द्वितीय चक्र |
|----------|---|--|---|
| | | 01 जनवरी से 30 जून तक प्रस्तावित तिथियां/शुल्क | 01 जुलाई से 15 नवम्बर तक प्रस्तावित तिथियां/शुल्क |
| 1 | आवेदन प्रपत्र प्राप्त एवं जमा करने का कार्यालय | चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून। | चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून। |
| 2 | आवेदन प्रपत्र शुल्क प्रतिकोर्स | ₹ 1,000/- (राजकीय संस्थान इस श्रेणी में नहीं आते) | ₹ 1,000/- (राजकीय संस्थान इस श्रेणी में नहीं आते) |
| 3 | निरीक्षण शुल्क प्रति कोर्स (आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा) | ₹ 25,000/- (राजकीय संस्थान इस श्रेणी में नहीं आते) | ₹ 25,000/- (राजकीय संस्थान इस श्रेणी में नहीं आते) |
| 4 | आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि | 01 जनवरी से 31 जनवरी तक | 01 जून से 30 जून तक |
| 5 | पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि | 15 मार्च | 15 जुलाई |
| 6 | चिकित्सा शिक्षा निदेशालय/ महानिदेशालय, उत्तराखण्ड स्तर से निरीक्षण रिपोर्ट सुस्पष्ट आख्या सहित तैयार कर शासन को प्रेषित किये जाने की अन्तिम तिथि। | 30 अप्रैल | 30 अगस्त |
| 7 | प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित उप समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना। | मई | सितम्बर |
| 8 | उप समिति की बैठक के पश्चात् प्रस्ताव इम्पावर्ड कमेटी को प्रस्तुत किया जाना। | जून | अक्टूबर |
| 9 | भारतीय नर्सिंग परिषद को अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अन्तिम तिथि। | <ul style="list-style-type: none"> 01 अगस्त से 30 नवम्बर विलम्ब शुल्क सहित दिनांक 27 दिसम्बर (4:00 PM) (आई0एन0सी0 के पत्र दिनांक 29.05.2013 के अनुसार) | |

